ROOTINDEXING
INTERNATIONAL ADVANCE JOURNAL OF ENGINEERING, SCIENCE AND MANAGEMENT (IAJESM)
January-June 2023, Submitted in January 2023, iajesm2014@gmail.com, ISSN -2393-8048
Multidisciplinary Indexed/Peer Reviewed Journal. SJIF Impact Factor 2023 =6.753

सर्व शिक्षा अभियान का आलोचनात्मक विश्लेषण: भारत के सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का एक अध्ययन

रेखा, शिक्षा विभाग, शोधकर्ता, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)
डॉ. आशा यादव, प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल विश्वविद्यालय, , हिसार (हरियाणा)

सार

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) भारत की सबसे महत्वाकांक्षी शैक्षिक पहलों में से एक है जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। 2001 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में शिक्षा में असमानताओं को दूर करना और यह सुनिश्चित करना था कि सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हर बच्चे को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। यह शोध पत्र सर्व शिक्षा अभियान की सफलताओं और कमियों दोनों को ध्यान में रखते हुए इसके कार्यान्वयन, प्रभाव, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है।

विशेष शब्द : सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि

1. परिचय

अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अग्रणी, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) भारत के संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार "समयबद्ध तरीके से" 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने वाला सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। . इसे 2001 में 7000 करोड़ रुपये के शुरुआती परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य नामांकन, प्रतिधारण और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है ताकि बच्चों को सीखने के उचित ग्रेड स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। इसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के बीच लिंग भेद और अंतर को खत्म करना भी है।

2001 में एसएसए की शुरुआत के समय 6-14 वर्ष की आयु के बीच 3.40 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर थे। 85 प्रतिशत से अधिक धनराशि के उपयोग के साथ एसएसए के लॉन्च के वर्षों बाद, केवल 1.35 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर रहे - 2005 में 60 प्रतिशत की कमी (2006 का सीएजी 15)। 2009 में यह घटकर 81.5 लाख हो गई और वर्तमान में 96% से अधिक बच्चे नामांकित हैं। एसएसए की शुरुआत 1998 में राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के बाद 2001 में की गई थी। जल्द ही 86वें संशोधन ने 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। हालाँकि, संसद को बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने में 7 साल1 लग गए, जिसने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को क्रियान्वित किया। लॉन्च होने पर, एसएसए का लक्ष्य 2010 तक मिशन मोड में 100% नामांकन हासिल करना था। अब एसएसए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) को लागू करने का मुख्य माध्यम है।

आकृति -1 : सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का एक अवलोकन

एसएसए की लागत केंद्र और राज्यों द्वारा साझा की जाती है। 2004-05 में, केंद्र सरकार ने एसएसए और मध्याह्न भोजन योजना के लिए अतिरिक्त धन जुटाने के लिए सभी करों पर 2 प्रतिशत का शिक्षा उपकर लगाया। 2008-09 में यह सरचार्ज बढ़ाकर 3 फीसदी कर दिया गया. इसे पूरे देश को कवर करने और 1.1 मिलियन बस्तियों में 192 मिलियन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। एसएसए एक मिशन मोड में समुदाय के स्वामित्व वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों की मानवीय क्षमताओं में सुधार करने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य स्कूलों के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक अंतर को पाटना है। इस प्रकार, यह प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थानों, स्कूल प्रबंधन समितियों, गांव और शहरी स्लम स्तर की शिक्षा समितियों, माता-पिता शिक्षक संघों, मातृ शिक्षक संघों, जनजातीय स्वायत्त परिषदों और अन्य जमीनी स्तर की संरचनाओं की प्रभावी भागीदारी चाहता है।

कार्यक्रम का उद्देश्य उन क्षेत्रों में नए स्कूल खोलना है जहां स्कूली शिक्षा सुविधाएं नहीं हैं और अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय, पेयजल, रखरखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के प्रावधान के माध्यम से मौजूदा स्कूल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। अपर्याप्त शिक्षक शक्ति वाले मौजूदा स्कूलों को अतिरिक्त शिक्षक प्रदान किए जाते हैं, जबकि मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को व्यापक प्रशिक्षण, शिक्षण-शिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए अनुदान और क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर शैक्षणिक सहायता संरचना को मजबूत करके मजबूत किया जा रहा है। एसएसए डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए जीवन कौशल और कंप्यूटर शिक्षा सहित गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा भी प्रदान करना चाहता है। एसएसए का लड़कियों की शिक्षा और विशेष जरूरतों वाले बच्चों पर विशेष ध्यान है।

एसएसए को आरटीई के साथ संरेखित करने के लिए तैयार किया गया ढांचा

आरटीई एक न्यायसंगत कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार देता है। यह बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है जो न्यायसंगत है और समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, यह उन्हें ऐसी शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है जो भय, तनाव और चिंता से मुक्त हो।

आरटीई अधिनियम के पारित होने के साथ, एसएसए दृष्टिकोण, रणनीतियों और मानदंडों में परिवर्तन शामिल किए गए हैं - निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित:

(i) शिक्षा का समग्र दृष्टिकोण, जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में व्याख्या की गई है, जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षा, शैक्षिक योजना और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ के साथ शिक्षा की संपूर्ण सामग्री और प्रक्रिया के प्रणालीगत सुधार के निहितार्थ शामिल हैं।

(ii) समानता का मतलब न केवल समान अवसर है, बल्कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण भी है जिसमें समाज के वंचित वर्ग - एससी, एसटी, मुस्लिम अल्पसंख्यक, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और विशेष जरूरतों वाले बच्चे आदि - लाभ उठा सकें। अवसर।

(iii) पहुंच, यह सुनिश्चित करने तक ही सीमित नहीं है कि एक स्कूल निर्दिष्ट दूरी के भीतर सभी बच्चों के लिए सुलभ हो जाए, बल्कि पारंपरिक रूप से बहिष्कृत श्रेणियों - एससी, एसटी और सबसे वंचित समूहों के अन्य वर्गों की शैक्षिक आवश्यकताओं और दुर्दशा की समझ का तात्पर्य है। , मुस्लिम अल्पसंख्यक, सामान्य रूप से लड़कियाँ, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे।

(iv) लैंगिक चिंता, जिसका अर्थ न केवल लड़कियों को लड़कों के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाना है, बल्कि शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/92 में बताए गए परिप्रेक्ष्य में देखना है; यानी महिलाओं की स्थिति में बुनियादी बदलाव लाने के लिए एक निर्णायक हस्तक्षेप।

(v) शिक्षक की केंद्रीयता, उन्हें कक्षा में और कक्षा से परे एक ऐसी संस्कृति बनाने और नवाचार करने के लिए प्रेरित करना, जो बच्चों के लिए, विशेष रूप से उत्पीड़ित और हाशिए की पृष्ठभूमि की लड़कियों के लिए एक समावेशी वातावरण तैयार कर सके।

(vi) आरटीई ने दंडात्मक प्रक्रियाओं पर जोर देने के बजाय, माता-पिता, शिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों और अन्य हितधारकों पर नैतिक बाध्यता थोप दी।

(vii) आरटीई कानून के कार्यान्वयन के लिए शैक्षिक प्रबंधन की अभिसरण और एकीकृत प्रणाली पूर्व-आवश्यकता है। सभी राज्यों को यथासंभव शीघ्रता से उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

2. कार्यान्वयन एवं प्रगति

कार्यान्वयन दृष्टिकोण: एसएसए के कार्यान्वयन को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में डिजाइन किया गया था। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कार्यक्रम की रणनीतियाँ और हस्तक्षेप प्रत्येक राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुरूप हों। विकेंद्रीकरण पर जोर देने से राज्यों को निर्णय लेने में कुछ हद तक स्वायत्तता प्राप्त हुई, जो भारत के क्षेत्रों में विविध सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों को देखते हुए महत्वपूर्ण था।

क्षेत्रीय सिलाई और विकेंद्रीकरण: राज्यों को अपनी योजनाएँ और रणनीतियाँ विकसित करने की अनुमति देकर, एसएसए ने विभिन्न क्षेत्रों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को स्वीकार किया। इस दृष्टिकोण ने शिक्षा में विशिष्ट बाधाओं, जैसे सांस्कृतिक मानदंडों, भाषा बाधाओं और भौगोलिक बाधाओं की पहचान करने में सक्षम बनाया। परिणामस्वरूप, इन विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए हस्तक्षेप तैयार किए गए, जिससे कार्यक्रम अधिक प्रभावी और प्रासंगिक बन गया।

आकृति-2 : एसएसए राष्ट्रीय मिशन

बढ़ी हुई नामांकन दरें: एसएसए की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक देश भर में नामांकन दरों में वृद्धि रही है। स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में लाने पर ध्यान केंद्रित करके, कार्यक्रम ने उन समुदायों को लक्षित किया जिन्हें ऐतिहासिक रूप से औपचारिक स्कूली शिक्षा से बाहर रखा गया था।

एसएसए के हस्तक्षेप, जैसे जागरूकता अभियान, नामांकन अभियान और मध्याह्न भोजन जैसे प्रोत्साहन ने माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ड्रॉपआउट दर में कमी: ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए एसएसए के प्रयास भी प्रभावी रहे हैं। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की शुरूआत ने न केवल छात्रों के पोषण में सुधार किया, बल्कि माता-पिता को अपने बच्चों को नामांकित रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में भी काम किया। इसके अतिरिक्त, लैंगिक असमानताओं को दूर करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए हस्तक्षेपों ने एक अधिक सहायक वातावरण बनाने में मदद की जिसने निरंतर उपस्थिति को प्रोत्साहित किया।

बुनियादी ढांचे का विकास: बुनियादी ढांचे में सुधार पर एसएसए का ध्यान इसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक था। कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि स्कूल पर्याप्त कक्षाओं, फर्नीचर, स्वच्छता सुविधाओं और स्वच्छ पेयजल से सुसज्जित हों। इसका सीखने के माहौल पर सीधा प्रभाव पड़ा, जिससे यह शिक्षा के लिए अधिक अनुकूल हो गया और छात्रों के लिए समग्र स्कूल अनुभव में वृद्धि हुई।

इक्विटी और समावेशन: समानता के प्रति एसएसए की प्रतिबद्धता हाशिए पर रहने वाले समुदायों और विकलांग बच्चों पर इसके फोकस के माध्यम से स्पष्ट थी। कार्यक्रम ने माना कि इन समूहों को अक्सर शिक्षा में गरीबी, भेदभाव और संसाधनों की कमी सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एसएसए के हस्तक्षेप, जैसे कि मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, वर्दी और सुलभ बुनियादी ढाँचा प्रदान करने से, समान अवसर बनाने में मदद मिली और यह सुनिश्चित हुआ कि इन बच्चों को शिक्षा के समान अवसर मिले।

ग्रामीण और दूरस्थ प्रभाव: एसएसए का प्रभाव विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण था जहां शिक्षा तक पहुंच ऐतिहासिक रूप से सीमित थी। वंचित क्षेत्रों को लक्षित करने पर कार्यक्रम के जोर ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा अंतर को पाटने में मदद की। संसाधन, बुनियादी ढाँचा और शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करके, एसएसए ने इन क्षेत्रों में शिक्षा को अधिक सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाला बनाया। निष्कर्ष में, सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन दृष्टिकोण, सहयोग, विकेंद्रीकरण और अनुरूप हस्तक्षेप पर जोर देते हुए, नामांकन दर बढ़ाने, ड्रॉपआउट दर कम करने, बुनियादी ढांचे में सुधार और शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने में इसकी उपलब्धियों में योगदान दिया है। कार्यक्रम की सफलता भारत के शिक्षा परिदृश्य में मौजूद विविध चुनौतियों को पहचानने और उनका समाधान करने के महत्व का प्रमाण है।

3. हरियाणा में एसएसए

लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर ऊंची और बढ़ रही है

एएसईआर 2013 की रिपोर्ट के अनुसार, लड़कियों के नामांकन में गिरावट हरियाणा की मुख्य चिंताजनक विशेषता है। 11-14 आयु वर्ग में स्कूल न जाने वाली लड़कियों का अनुपात 2012 में 11.2% से बढ़कर 2013 में 12.1% हो गया। ये संख्या 2012 में 6% और 2013 में 5.5% की राष्ट्रीय ड्रॉपआउट दर से लगभग दोगुनी है। शिक्षाविदों का मानना है कि इसका कारण महिलाओं और लड़कियों की अपेक्षाकृत हीन स्थिति है, जिन्हें परंपरागत रूप से घरेलू सीमाओं के भीतर देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, लड़कियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे उचित शौचालयों की कमी लड़कियों को शिक्षा जारी रखने से रोकती है।

ROOTINDEXING
INTERNATIONAL ADVANCE JOURNAL OF ENGINEERING, SCIENCE AND MANAGEMENT (IAJESM)
January-June 2023, Submitted in January 2023, iajesm2014@gmail.com, ISSN -2393-8048
Multidisciplinary Indexed/Peer Reviewed Journal. SJIF Impact Factor 2023 =6.753

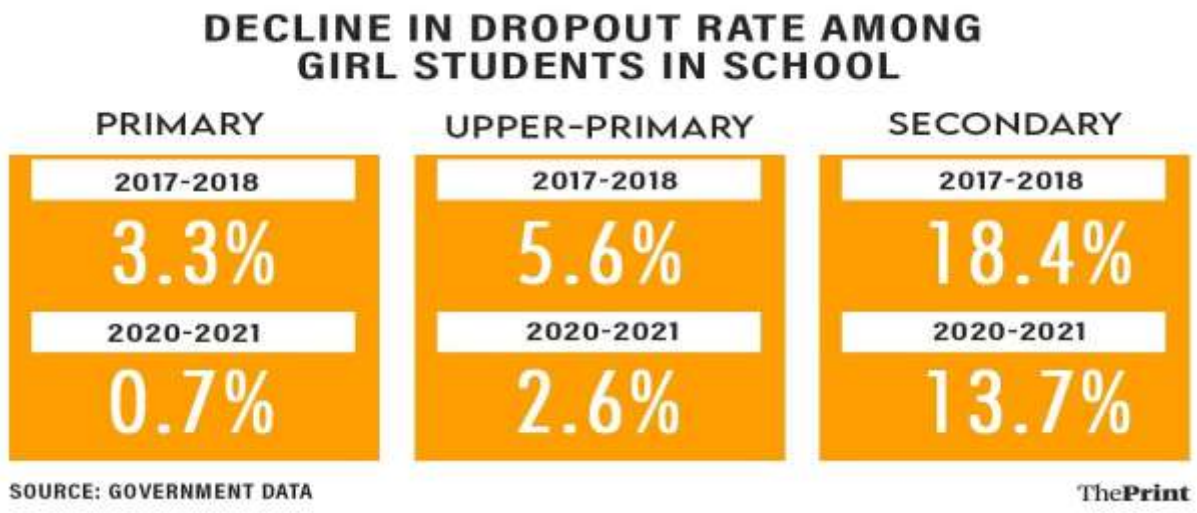

आकृति 3 : लड़कियों के बीच स्कूल छोड़ने की दर 4 साल में कम हुई

उनका यह भी मानना है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए आदर्श मॉडल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं जिनमें ड्रॉपआउट दर लगभग नगण्य है। समान तंत्र विकसित करने से लड़कियों का नामांकन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एक और मुख्य आकर्षण नामांकन के मामले में निजी स्कूलों की बढ़ती भूमिका है - वर्तमान में लगभग 40% बच्चे निजी स्कूलों में नामांकित हैं। 6-14 आयु वर्ग में, निजी स्कूल में नामांकन 2006 में 25.2% से बढ़कर 2013 में 39.5% हो गया है। स्कूलों की संख्या के संदर्भ में बात करें तो, 25% निजी स्कूल कुल छात्रों के 40% को शिक्षा दे रहे हैं जबकि 75 % सरकारी स्कूल कुल छात्रों में से 60% को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

निजी स्कूलों को प्राथमिकता देने का एक संभावित कारण सरकारी स्कूलों की खराब प्रतिष्ठा है।

4. उपलब्धियां

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के दौरान, प्रारंभिक विद्यालयों में कुल नामांकन 2009-10 में 18.79 करोड़ बच्चों से बढ़कर 2015-16 में 19.67 करोड़ बच्चों तक पहुंच गया है। UDISE 2015-16 के अनुसार, सकल नामांकन अनुपात (GER) प्राथमिक के लिए 99.21% और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 92.81% है। छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 2009-10 में 32 से बढ़कर 2015-16 में 25 हो गया है। भारत में 62.65% सरकारी स्कूलों में आरटीई मानदंड के अनुसार पीटीआर है जो प्राथमिक स्तर पर औसतन 30:1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 है। 2005 में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 134.6 लाख थी जो 2009 में घटकर 81 लाख और 2015 में 60.64 लाख हो गई है। प्राथमिक स्तर पर औसत वार्षिक ड्रॉपआउट दर 2009-10 में 6.76% से घटकर 2014-15 में 4.13% हो गई है। यूडीआईएसई, 2015-16 के अनुसार और उच्च प्राथमिक स्तर पर औसत वार्षिक ड्रॉपआउट दर यूडीआईएसई, 2015-16 के अनुसार 2014-15 में 4.03% है। यूडीआईएसई, 2015-16 के अनुसार प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में संक्रमण दर 2009-10 में 85.17% से बढ़कर 2014-15 में 90.14% हो गई है। 2014-15 में लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई) प्राथमिक स्तर पर 0.93 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 0.95 तक पहुंच गया है। प्रारंभिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन 2010-11 में 19.06% से बढ़कर 2015-16 में 19.79% हो गया है। प्रारंभिक स्तर पर 2015-16 में एसटी बच्चों का नामांकन 10.35% है। प्रारंभिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों का नामांकन 2010-11 में 12.50% से बढ़कर 2015-16 में 13.80% हो गया है। UDISE 2015-16 के अनुसार, कुल संख्या। भारत में 10,76,994 सरकारी स्कूल चालू हैं जबकि 2002-03 से 2015-16 की अवधि के दौरान 1,62,237 प्राथमिक स्कूल और 78,903 उच्च प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं।

Scientific Indexing Services

साक्षरता दर में सुधार के लिए, वयस्क शिक्षा और कौशल विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना साक्षर भारत को 26 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 410 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, जहां जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत और उससे कम थी। 2001, और इसमें वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को शामिल किया गया, उनकी साक्षरता दर के बावजूद, महिलाओं और अन्य वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया।

नामांकन में वृद्धि: एसएसए के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना था, खासकर हाशिए पर और वंचित समूहों के बीच। यह कार्यक्रम बड़ी संख्या में स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में लाने में सफल रहा, जिससे नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

ड्रॉपआउट दर में कमी: एसएसए के हस्तक्षेप, जैसे मध्याह्न भोजन प्रदान करना, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और लैंगिक असमानताओं को संबोधित करना, ने ड्रॉपआउट दर को कम करने में योगदान दिया है। इससे बड़ी संख्या में बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं।

लैंगिक समानता और समावेशन: एसएसए ने नामांकन और प्रतिधारण में लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम किया है। कार्यक्रम में हाशिए पर रहने वाले समुदायों की लड़कियों और बच्चों को शामिल करने पर जोर देने से स्कूलों में लिंग अनुपात में सुधार हुआ है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में।

बुनियादी ढांचे का विकास: एसएसए ने नई कक्षाओं, शौचालयों, पुस्तकालयों और पीने के पानी की सुविधाओं के निर्माण सहित स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सुधारों ने छात्रों के लिए सीखने का अधिक अनुकूल माहौल तैयार किया है।

शिक्षक प्रशिक्षण: कार्यक्रम ने बड़ी संख्या में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है, उनके शैक्षणिक कौशल और शिक्षण विधियों को बढ़ाया है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षण प्रथाओं में सुधार हुआ है और छात्रों के लिए बेहतर सीखने के परिणामों में योगदान मिला है।

सामुदायिक भागीदारी: एसएसए ने स्कूलों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) की शुरुआत की। इससे शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही, पारदर्शिता और सामुदायिक स्वामित्व बढ़ा है।

हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर विशेष ध्यान: एसएसए ने आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने को प्राथमिकता दी जहां शिक्षा सुविधाओं की कमी थी। इस फोकस ने विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच शिक्षा अंतर को पाटने में मदद की है।

समावेशी शिक्षा: कार्यक्रम ने विकलांग बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों में शामिल करने का प्रयास किया है। इसने संसाधन केंद्र स्थापित किए और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की कि इन बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा मिले।

पाठ्यचर्या सुधार: एसएसए ने रटकर सीखने से हटकर अधिक बाल-केंद्रित और इंटरैक्टिव पाठ्यक्रम के विकास में योगदान दिया। इस दृष्टिकोण ने छात्रों के लिए सीखने के अनुभव को अधिक आकर्षक और प्रभावी बना दिया है।

नवीन शिक्षण विधियाँ: एसएसए ने शिक्षा को अधिक रोचक और इंटरैक्टिव बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और गतिविधि-आधारित शिक्षा के उपयोग सहित नवीन शिक्षण विधियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया है।

डेटा संग्रह और विश्लेषण: एसएसए ने शिक्षा से संबंधित डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए तंत्र लागू किया। इस डेटा-संचालित दृष्टिकोण ने कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और सूचित निर्णय लेने में मदद की है।

प्रारंभिक शिक्षा के लिए नीति ढांचा: एसएसए ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के लिए आधार तैयार किया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचे को और मजबूत किया।

सामाजिक संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव: एसएसए की सफलता साक्षरता दर में सुधार, शिक्षा में लिंग अंतर में कमी और समुदायों में शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता में वृद्धि में परिलक्षित होती है।

5. चुनौतियां

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), भारत में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल होने के बावजूद, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिसने इसके कार्यान्वयन और प्रभावशीलता को प्रभावित किया है। कुछ प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं:

शिक्षा की गुणवत्ता: जबकि एसएसए ने नामांकन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है, प्रदान की गई शिक्षा की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है। सीखने के परिणामों में असमानताएं और मानकीकृत मूल्यांकन उपकरणों की कमी शैक्षिक गुणवत्ता के मापन में बाधा बनती है। छात्रों के लिए वास्तविक सीखने के अनुभव और परिणामों में सुधार के बजाय अक्सर मात्रा (नामांकन दर) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता: शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयासों के बावजूद, योग्य शिक्षकों की कमी बनी हुई है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी भिन्न है, जिससे प्रभावी शिक्षा प्रदान करने की उनकी क्षमता प्रभावित हो रही है। उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात भी व्यक्तिगत ध्यान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में बाधा डाल सकता है।

समानता के मुद्दे: जबकि एसएसए का उद्देश्य शिक्षा में असमानताओं को दूर करना है, क्षेत्रीय और सामाजिक आर्थिक असमानताएं अभी भी मौजूद हैं। शहरी क्षेत्रों को अक्सर अधिक ध्यान और संसाधन मिलते हैं, जिससे शहरी-ग्रामीण विभाजन होता है। इसके अलावा, विकास के विभिन्न स्तरों और अलग-अलग शिक्षा संकेतकों वाले राज्यों को समान रणनीतियों को लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: एसएसए का उद्देश्य स्कूलों में बुनियादी ढाँचे में सुधार करना है, लेकिन कई स्कूलों में अभी भी उचित सुविधाओं, कक्षाओं, पुस्तकालयों और स्वच्छता सुविधाओं का अभाव है। अनुकूल सीखने के माहौल की कमी छात्रों की उपस्थिति और सीखने के परिणामों दोनों को प्रभावित कर सकती है।

शिक्षक जवाबदेही: हालाँकि एसएसए ने स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के माध्यम से शिक्षक जवाबदेही के लिए तंत्र पेश किया, लेकिन उनकी प्रभावशीलता असंगत रही है। अक्सर, इन समितियों को अधिकार जताने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे शिक्षकों के प्रदर्शन और स्कूल प्रबंधन की अपर्याप्त निगरानी होती है।

ड्रॉपआउट दर: जबकि एसएसए ने स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में योगदान दिया है, बाल श्रम, कम उम्र में शादी और गरीबी जैसी चुनौतियाँ अभी भी महत्वपूर्ण ड्रॉपआउट दर का कारण बनती हैं, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच। इन मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

हाशिए पर रहने वाले समुदायों और विकलांग बच्चों का समावेश: एसएसए का उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है, लेकिन विकलांग बच्चों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों को अक्सर शिक्षा तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विशेष सुविधाओं, शिक्षक प्रशिक्षण और माता-पिता और समुदायों के बीच जागरूकता की कमी इन बच्चों के सफल समावेश को सीमित कर सकती है।

स्थिरता और वित्तीय आवंटन: एसएसए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त और निरंतर वित्त पोषण महत्वपूर्ण है। बजट की कमी और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से धन आवंटन में उतार-चढ़ाव कार्यक्रम की निरंतरता और सफलता को प्रभावित कर सकते हैं।

भाषा और सांस्कृतिक विविधता: भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता एक ऐसे मानकीकृत पाठ्यक्रम को डिजाइन करने में चुनौती पेश करती है जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए समावेशी और प्रासंगिक हो। स्थानीय भाषाओं में उपयुक्त शिक्षण सामग्री विकसित करना संसाधन-गहन और समय लेने वाला हो सकता है।

निगरानी और मूल्यांकन: कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन तंत्र आवश्यक हैं। हालाँकि, ये तंत्र कभी-कभी अपर्याप्त होते हैं, जिससे एसएसए हस्तक्षेपों की सफलता को सटीक रूप से मापने में कठिनाइयाँ आती हैं।

6. भविष्य की संभावनाएं

- एसएसए के भविष्य के पुनरावृत्तियों को पाठ्यक्रम सुधार, निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण और मानकीकृत मूल्यांकन के माध्यम से सीखने के परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- वास्तविक सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विकलांग बच्चों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों को शामिल करने के प्रयासों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।
- दूरस्थ शिक्षा, शिक्षक विकास और निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से एसएसए की दक्षता बढ़ सकती है।
- सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए कार्यक्रम प्रभावशीलता पर नियमित मूल्यांकन और अनुसंधान आवश्यक है।

7. निष्कर्ष

सर्व शिक्षा अभियान ने निस्संदेह पूरे भारत में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने में पर्याप्त प्रगति की है। हालाँकि इसने पहुंच और नामांकन के मुद्दों को सफलतापूर्वक निपटाया, गुणवत्ता, इक्विटी और वित्तीय आवंटन से संबंधित चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। कार्यक्रम की सफलताएँ और चुनौतियाँ भारत की शिक्षा नीतियों के भविष्य के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। एक समग्र दृष्टिकोण जो ढांचागत और शैक्षणिक दोनों पहलुओं को संबोधित करता है, निरंतर प्रतिबद्धता और पर्याप्त धन के साथ मिलकर, भारत में अधिक समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

8. संदर्भ

1. भारत सरकार (2000)। कार्यान्वयन के लिए सर्व शिक्षा अभियान रूपरेखा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
2. भाटिया, एम., और टूली, जे. (2008)। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम: महत्वपूर्ण विचार। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, 28(4), 435-445।
3. अग्रवाल, वाई. (2012)। सर्व शिक्षा अभियान: कार्यान्वयन में उभरते मुद्दे और चुनौतियाँ। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 3(6), 131-138।

4. वर्मा, एस., और कुमार, पी. (2017)। भारत में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता: बिहार में एसएसए कार्यान्वयन का एक केस स्टडी। एजुकेशनल क्वेस्ट: एन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड एप्लाइड सोशल साइंसेज, 8(2), 191-201।
5. तिलक, जे.बी.जी. (2010)। प्रारंभिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए): भारत में ऊपर खींचना और नीचे खींचना। संभावनाएँ, 40(4), 455-468.
6. मेहता, ए., और चौधरी, एम. (2014)। भारत में प्राथमिक शिक्षा: प्रगति और चुनौतियाँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, 3(3), 141-148।
7. शर्मा, एस., और चौधरी, एम. (2019)। प्रारंभिक शिक्षा में समावेशिता: भारत में एसएसए का एक अध्ययन। हालिया शोध पहलुओं का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 6(3), 1-9।
8. पटनायक, एस., और सुबुद्धि, बी. (2013)। उड़ीसा में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के कार्यान्वयन पर एक अध्ययन: मुद्दे और चुनौतियाँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन्स, 3(11), 1-4।
9. झा, एन. (2015)। भारत में प्रारंभिक शिक्षा पर सर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 6(16), 53-59।
10. श्रीवास्तव, आर., और प्रसाद, आर. (2011)। भारत में सर्व शिक्षा अभियान की चुनौतियाँ: पटना जिले में चयनित प्राथमिक विद्यालयों का एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 1(9), 166-175।
11. प्रसाद, एन., और वर्मा, एस. (2017)। बिहार में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ: सरकारी और निजी स्कूलों का तुलनात्मक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड रिव्यू, 6(7), 386-393।
12. नाम्बिसन, जी.बी., और सेडवाल, आर. (2005)। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक समावेशन: हरियाणा और मध्य प्रदेश के अनुभव। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 40(22/23), 2233-2240।
13. कोठारी, आर. (2010). भारत में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण: प्रगति और चुनौतियाँ। संभावनाएँ, 40(4), 469-482.
14. स्वामीनाथन, एम.एस. (2007)। भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चुनौतियाँ। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 42(23), 2181-2187।
15. चव्हाण, एम. (2013) भारत में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच: सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का कार्यान्वयन। रिसर्च जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइंसेज, 1(1), 18-22।
16. यूनेस्को. (2018) सतत विकास लक्ष्यों के लिए शिक्षा: सीखने के उद्देश्य।